सेवा में,

श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय

थाना मुखानी, हल्द्वानी

जिला नैनीताल, उत्तराखंड

विषय: रिहायशी भवन की भूमि को श्री अमन आही तथा श्रीमती मधु अग्रवाल द्वारा छल-कपट तथा भ्रष्ट व्यक्तियों से सांठ-गांठ कर भूमि हड़पने तथा अवैध रूप से उक्त की खरीद फरोख्त करने पर **प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु तहरीर।**

द्वारा: 1. श्रीमती निवेदिता, पत्नी स्वर्गीय श्री रोशन लाल

2. श्री मनन आही, पुत्र स्वर्गीय श्री रोशन लाल

निवासी: मकान संख्या 2, गली संख्या 5, आदर्श नगर (थाना मुखानी), हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। **थाने से दूरी** : 3.8 km लगभग।

महोदय

यह निवेदन हम शिकायतकर्ता श्रीमती निवेदिता पत्नी स्वर्गीय श्री रोशन लाल एवं श्री मनन आही पुत्र स्वर्गीय श्री रोशन लाल निवासी मकान संख्या 2, गली संख्या 5, आदर्श नगर (थाना मुखानी), हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

हमारे मकान संख्या 2, गली संख्या 5, आदर्श नगर (थाना मुखानी), हल्द्वानी, में हम लगभग सन 1985 ई से निवास कर रहे हैं। उक्त भूमि पर हमारा रिहायशी भवन हमारे स्वामित्व में है और हमारे पास इसका पूर्ण अधिकार है।

हाल ही में, हमारी जानकारी में आया है कि **श्री अमन आही**, उम्र लगभग 44 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री रोशन लाल, निवासी फ्लैट संख्या 204 टावर 6 पारस टियारा सेक्टर 137 नोएडा-201304 उत्तर प्रदेश तथा **श्रीमती मधु अग्रवाल** पत्नी श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल निवासी 8/521, मुनगली गार्डन, हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड ने छल-कपट तथा भ्रष्ट व्यक्तियों से सांठ-गांठ करते हुए हमारी भूमि के लगभग **1800 sq. ft.** रकबे को अवैध रूप से अमन आही के नाम दर्ज करा लिया।

HM/CC
मु०अ०स० दर्ज कर दाखिल करें।
13/7/24

जिसके पश्चात अमन आही द्वारा अवैध रूप से हमारी भूमि को श्रीमती मधु अग्रवाल को बिना किसी पंजीकृत बैनामे के ही नकद लेनदेन कर अवैध रूप से बेच दिया गया है। जिसपर मधु अग्रवाल द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। जिसपर की, हमें भारी मानसिक और आर्थिक क्षति हुई है।

Nivedita
13/7/24

13/7/24

हम यह जानकर स्तब्ध हैं कि कैसे बिना हमारी सहमति और जानकारी के हमारी भूमि की खरीद फरोख्त की गई है।

क्युकी यह एक गंभीर अपराध है और हम इस कृत्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं । इसलिए, हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि:

1. श्री अमन आही तथा श्रीमती मधु अग्रवाल के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।
2. हमारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अतिक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
3. हमारी भूमि के स्वामित्व अधिकार की पुष्टि करते हुए, हमें उक्त भूमि का पूर्ण अधिकार वापस दिलाया जाए।

हम इस मामले में आपके त्वरित और न्यायपूर्ण कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।

दिनांक: 13/07/2024

Nivedita 13/7/24

13/7/24

श्रीमती निवेदिता, श्री मनन आही
मकान संख्या 2, गली संख्या 5, आदर्श नगर
(थाना मुखानी),हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड।
मोबाइल नंबर : 9997009932

थाना-मुखानी
13/07/24
जनपद-